तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती सन्तोष देवी बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/568**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित एवं अपीलार्थीया स्वयं भी उपस्थित जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह पूनिया द्वारा की गई एवं पहचान के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान कार्ड नम्बर जेडबीक्यू/2328616 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्ट ने भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद को विड्रो कर लिया है इसलिये अपीलान्ट उक्त अपील के मध्य से भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान् से कोई अनुतोष नही चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीया स्वयं ही न्यायालय हाजा से हस्तगत अपील में कोई अनुतोष नही चाहते हुए अपनी अपील को विड्रो करना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को विड्रो कर लिये जाने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। 22/11/2022 **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	